



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112022-240071
CG-DL-E-05112022-240071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4938]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944

No. 4938]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5157(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 10 फरवरी, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 615(अ), तारीख, 11 फरवरी, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “द टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) और “संदेश” (गुजराती) में तारीख 19 फरवरी, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला— अहमदाबाद

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4(क)	4(ख)	5	6	7	8
1	साणंद	(1) गोधावी	सिटी सर्वेक्षण संख्या लागू नहीं 1310		निजी	बिन खेती	0.0286	नवमोक्ष भागीदारों सो. दोकड़ा, कंचनबा हरिसिंह अमरसंग की विधवा राजेन्द्रसिंह हरिसिंह गोविंदसिंह हरिसिंह हरदेवसिंह गजेन्द्र सिंह वाघेला , संजयसिंह गजेन्द्र सिंह वाघेला , मिनाबा किरीट सिंह वाघेला, निलूबा किरीट सिंह वाघेला , संदीपसिंह किरीट सिंह वाघेला , बलवीरसिंह किरीट सिंह वाघेला , सुखदेव घनश्यामसिंह वाघेला
		(2) मोरैया	17पी3 / 2		निजी	खेती	0.1500	परमार जयेंद्रसिंह घनश्यामसिंह परमार धर्मेन्द्रसिंह घनश्यामसिंह
		(3) मणिपुर	826		निजी	बिन खेती	0.1364	सूर्यरंग ओनर एसोसिएशन

[फा. सं. 2022 / एलएमएल-II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2353]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5157(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 615(E), dated the 10th February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 11th February, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of

the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Ahmedabad in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) and “Sandesh” (Gujarati) dated the 19th February, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor falling within the district Ahmedabad in the State of Gujarat.

District- Ahmedabad

Sl.No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey/Block Number		Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of land owners/ Interested persons
1	2	3	4(a)	4(b)	5	6	7	8
1	Sanand	(1) Godhavi	City Survey Number Not Applicable 1310		Private	Non-Agriculture	0.0286	Navmoksh Bhagidaro So. Dokada, Kanchanba widow of Harisinh Amarsang, Rajendrasinh Harisinh, Govindsinh Harisinh, Hardevsinh Gajendrasinh Vaghela, Sanjaysinh Gajendrasinh Vaghela, Minaba Kiritsinh Vaghela, Niluba Kiritsinh Vaghela, Sandipsinh Kiritsinh Vaghela, Balvirsinh Kiritsinh Vaghela, Sukhdev Ghanshyamsinh Vaghela.
		(2) Moraiya	17P3/2		Private	Agriculture	0.1500	Parmar Jayendrasinh Ghanshyamsinh Parmar Dharmendrasinh Ghanshyamsinh.
		(3) Manipur	826		Private	Non-Agriculture	0.1364	Suryarang Owner Association.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2353]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)